न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट हिगोंटिया

पीठासीन अधिकारी:– मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
71/2004	24.04.2004	1.6.2016

1. शम्भूलाल पुत्र बदरी प्रसाद, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
2. त्रिलोकीनाथ पुत्र बदरी प्रसाद, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
3. मु0 गुलाब बाई पत्नी स्व. बदरी प्रसाद, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी ––वादीगण

बनाम

1. कैलाश चंद पुत्र रेवडया, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
2. सत्यनारायण पुत्र रेवडया ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी (नाम हजफ)
3. मु0 भौरीदेवी बेबा रेवडया, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी (मृतक, नाम हजफ)
   3/1 कमला पुत्री रेवडमल पत्नी बाबूलाल, ब्राह्मण निवासी सवाई माधोपुर
   3/2 विमला पुत्री रेवडमल पत्नी प्रभूदयाल, ब्राह्मण निवासी करतारपुरा जयपुर
4. लेंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणां, इन्द्राज दुरूस्ती, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–श्री शम्भूलाल ब्राह्मण वादी
श्री कैलाश चंद ब्राहमण प्रतिवादी

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0न0 202, 203, 204, 205 ग्राम सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। इस भूमि का गत एकीकरण में साबिक ख0न0 71 रकबा 9 बीघा 14 विस्वा था। एकीकरण के पूर्व संवत 2003 में इसका नम्बर 196 व 197 रकबा 9 बीघा 16 विस्बा थे एवं भूप्रबंध संवत 1991 में ख0न0 159/2, 160, 161 कुल रकबा 10 बीघा थे। यह वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जिसमे 1/2 हिस्सा वादीगण का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का है। संवत 1991 में इस भूमि की खातेदारी वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पितामह श्री धन्नालाल के नाम थी। धन्नालाल की मृत्यु के बाद इस भूमि का पटटा वादी न0 1 व 2 के पिता बदरी प्रसाद तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 के पिता रेवडया के नाम जारी हो गई परंतु संवत 2003 मे प्रतिवादी न0 1 व 2 के पिता रेवडया ने भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कर ली जबकि भूमि को रेवडया व बदरी प्रसाद दोनो ही काश्त कर रहे थे। इस गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण न0 1 व 2 के पिता बदरी प्रसाद ने प्रतिवादी न0 1, 2 के पिता रेवडया से भूमि का इन्द्राज सही कराने का कहा तो रेवडया ने दिनांक 22.9.66 को वादी न0 1 व 2 के पिता बदरी प्रसाद के हक में एक स्टाम्प तहरीर व तकमील करा दिया। जिसमे बदरी प्रसाद का भूमि मे आधा हिस्सा मांगा और मौके पर दोनो भाईयो ने भूमि का बराबर बराबर भूमि का विभाजन भी कर लिया एवं एक पुख्ता चाह सामूहिक बनराशि लगाकर बना लिया। रेवडया व बदरी प्रसाद दोनो की मृत्यु हो चुकी है। रेवडया की मृत्यु की पश्चात प्रतिवादी न0 1 ता 3 ने भूमि की खातेदारी अपने नाम करा ली है

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

एवं इस आधार पर वे वादीगण को बाधा उत्पन्न करने पर उतारू है तथा भूमि को हस्तान्तरित करने पर भी उतारू है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाकर भूमि ख0न 202, 203, 204, 205 ग्राम सलारपुर में वादीगण का आधा हिस्सा घोषित किया जावे। इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मे बराबर भूमि का विभाजन किया जाकर सरकारी अभिलेख मे दुरूस्ती करवायी जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वे वादीगण के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 4 बाबजूद सूचना.हाजिर नहीं हुए अतः प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जबाब दावा प्रस्तुत किया। अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि विवादित भूमि से वादीगण का कोई सम्बध नही है। वादीगण ने भूमि में बेईमानी से 1/2 हिस्सा बताया है। वादीगण का यह तथ्य बिलकुल फर्जी एवं बनाबटी है कि दिनांक 22.9.66 को जबाबदार के पिता व पति श्री रेवडया ने वादीगण के पिता बदरीप्रसाद के पक्ष मे स्टाम्प तहरीर व तकमील कराया हो तथा बदरी प्रसाद व रेवडया ने भूमि का आधी आधी बाट कर विभाजन कर लिया हो तथा संयुक्त रूप से कुआ बनवाया हो। विवादित भूमि में कुआ श्री रेवडया द्वारा बनवाया गया है एवं एक पुख्ता मकान भी विवादित भूमि मे सन 1996 में जबाबदार कैलाश ने बनवाया है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि विवादित भूमि में खेती की सार संभाल व सामान रखने हेतु कैलाश ने 1996 में निर्माण किया है जो मौके पर है। भूमि एकीकरण में एकीकरण अधिकारियो ने जबाबदारान के पिता व पति श्री रेवडया को चक नम्बर 71 रकबा 9 बीघा 19 विस्वा कायम कर संभलाया। वादीगण के पिता का यदि कोई हक होता तो संवत 2003 में व एकीकरण मे उनके द्वारा एतराज किया जाता। एकीकरण अधिकारियेा द्वारा किये गये इन्द्राज कनसोलिडेशन एक्ट की धारा 22, 23, 25 के अनुसार फाइनल है एवं इन्हे दीवानी व राजस्व न्यायालय मे चुनौती नही दी जा सकती।वादीगण झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। दिनांक 1.8.99 को वादीगण द्वारा जबाबदारान को धमकी दी गई। इस कारण प्रतिवादीगण वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने का अधिकारी है। जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे एवं जबाबदारान का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे भूमि ख0न0 202 रकबा 1.12 हेक्टर, 203 रकबा 2 एयर चाह, 204 रकबा 1.07 हेक्टर, 205 रकबा 21 एयर कुल रकबा 2.42 हेक्टर ग्राम सलारपुर की जबाबदारान कैलाश एवं भौरीदेवी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया भूमि ख0न 202, 203, 204, 205 ग्राम सलारपुर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक भूमि है। जिसकी खातेदारी पूर्व मे पक्षकारान के पितामह धन्ना के नाम रही है।
2. आया संवत 2003 प्रतिवादी न0 1 व 2 पिता रेवडया ने उपरोक्त भूमि की खातेदारी गलत रूप से अपने नाम दर्ज करा ली।
3. आया दिनांक 22.9.66 को रेवडया ने वादीगण के पिता बदरीप्रसाद के पक्ष में एक स्टाम्प तहरीर कर विवादित भूमि में वादीगण के पिता बदरी प्रसाद का 1/2 हिस्सा माना

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

4. आया प्रतिवादीगण ने रेवडया की मृत्यु के बाद विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम गलत रूप से दर्ज करवा ली है।

5. आया वादीगण विवादित भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली, भूमि का विभाजन करवाने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है।

6. आया विवादित भूमि में वादीगण का कोई हिस्सा नही है।

7. आया दिनांक 1.8.99 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को धमकी दी गई कि वे विवादित भूमि मे प्रतिवादी कैलाश द्वारा बनाऐ हुए कमरे मे रहने लग जावेगे एवं प्रतिवादी को विवादित भूमि काश्त नही करने देगे। अतः प्रतिवादीगण वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

8. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2051 –54, नकल जमाबंदी सवं त 2031–34, नकल पर्चा चकबंदी सवंत 2003 से 2022, पट्टा जयपुर गर्वमेन्ट, नकल जमाबंदी, नकल खतौनी भूमि एकीकरण, नकल खतौनी बदोबदस्त संवत 2003 से 2022 नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबध असल लिखावट दिनांक 12.9.66 असल पटटा जयपुर गर्वमेन्ट, नकल रजिस्टर चकबंदी संवत 1991 पेश किये है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है।

पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में दिनांक 1.6.16 को कैम्प हिगोटिया पर रखी गई। पक्षकारो को बुलवाया गया। पक्षकारान उपस्थित हुए। पक्षकार वादी शम्भूलाल व गुलाब बाई व प्रतिवादी कैलाश चंद ने राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि दावा वादीगण डिक्री करके भूमि भूमि ख0न 202, 203, 204, 205 ग्राम सलारपुर में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया जावे तथा इसी अनुसार रेवन्यू रिकार्ड में दुरूस्ती कर दी जावे। साथ ही भूमि के विभाजन हेतु भी पक्षकार सहमत है। जिसके अनुसार पक्षकारान पूर्व में भूमि पर उत्तर से दक्षिण की 1/2 हिस्से की भूमि पर रास्ते की ओर वादीगण काबिज थे तथा शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण काबिज थे परंतु अब राजीनामे के अनुसार दोनो पक्षो के विभाजन अनुसार हिस्सा 1/2 उत्तर दिशा की ओर प्रतिवादीगण तथा हिस्सा 1/2 दक्षिण दिशा की ओर वादीगण काबिज रहेगा। जिसका विभाजन दोनो पक्ष तहसील मे करवा लेगे। विभाजन हेतु नजरी नक्शा निर्णय का जुज रहेगा। नजरी नक्शा राजीनामे के साथ संलग्न है।

प्रस्तुत राजीनामे का एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल रजिस्टर चकबंदी ग्राम सलारपुर संवत 1991 से 2000 के अनुसार ख0 न0 159/2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 160 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा, 161 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा धन्नालाल बल्द रूपराम के नाम दर्ज है। जयपुर गवर्नमेट की ओर से जारी पट्टा दिनांक 27.12.46 के अनुसार ख0 न0 196 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा एवं ख0न0 197 रकबा 7 बीघा 2 विस्वा कुल रकबा 9 बीघा 16 विस्वा ग्राम सलारपुर पटटा रेवडया व बदली पिसरान धन्नालाल ब्राह्मण के नाम जारी किया। खतौनी बदोबस्त संवत 2003 से 2022 में भी भूमि दोनो के नाम खातेदारी मे दर्ज है। एकीकरण संवत 2019 में इसका खसरा नं0 71 रकबा 9 बीघा 14 विस्वा बना है जो रेवडया बल्द धन्नालाल की खातेदारी मे

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

दर्ज है। लिखावट दिनांक 12.9.66 के अनुसार रेवडया ने बदरी प्रसाद के पक्ष में उपरोक्त भूमि में आधा आधा हिस्सा दोनेा का होना लिखा है। नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबंध के अनुसार ख0न0 71 नवीन नम्बर 202 रकबा 1.12 हेक्टर, 203 रकबा 2 एयर, 204 रकबा 1.07 हेक्टर, 205 रकबा 21 एयर बने है जो प्रतिवादी न0 1, 2, 3 के नाम सेटिलमेट मे दर्ज हुए है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि धन्नालाल की भूमि रही है जो बाद मे धन्नालाल के पुत्र रेवडया ब बदरी प्रसाद के नाम दर्ज हुई। परंतु भूमि एकीकरण मे यह भूमि केबल रेवडया पुत्र धन्नालाल के ही नाम दर्ज हो गई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता बदरी प्रसाद का भी 1/2 हिस्सा बनता है एवं बदरी प्रसाद के बाद वादीगण भूमि में 1/2 हिस्से के अधिकारी है। इसी अनुसार पक्षकारों में राजीनामा भी प्रस्तुत किया है। जो स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रस्तुत अभिलेख एवं पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0न0 202 रकबा 1.12 हेक्टर, 203 रकबा 2 एयर चाह, 204 रकबा 1.07 हेक्टर, 205 रकबा 21 एयर कुल रकबा 2.42 हेक्टर ग्राम सलारपुर में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1.6.2016 को कैम्प कोर्ट हिगोंटिया में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) हिरोंटिया

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. शम्भूलाल पुत्र बदरी प्रसाद, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
2. त्रिलोकीनाथ पुत्र बदरी प्रसाद, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
3. मु0 गुलाब बाई पत्नी स्व. बदरी प्रसाद, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी ––वादीगण

बनाम

1. कैलाश चंद पुत्र रेवडया, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी
2. सत्यनारायण पुत्र रेवडया ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी (नाम हजफ)
3. मु0 भौरीदेवी बेबा रेवडया, ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी (मृतक, नाम हजफ)

3/1 कमला पुत्री रेवडमल पत्नी बाबूलाल, ब्राह्मण निवासी सवाई माधोपुर

3/2 विमला पुत्री रेवडमल पत्नी प्रभूदयाल, ब्राह्मण निवासी करतारपुरा जयपुर

4. लेंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणां, इन्द्राज दुरूस्ती, भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 71/2004

वादीगण की ओर से वादी शम्भू वगैरा की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कैलाश की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 01.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि प्रस्तुत अभिलेख एवं पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0न0 202 रकबा 1.12 हेक्टर, 203 रकबा 2 एयर चाह, 204 रकबा 1.07 हेक्टर, 205 रकबा 21 एयर कुल रकबा 2.42 हेक्टर ग्राम सलारपुर में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 01.06.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी
1 अर्जी के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 आदर्शो के लिए स्टाम्प 4 _____रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्य. आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस
जोड		जोड

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रपत्र 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर .... गंगापुरसिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- हिंगोटया

प्रमाणित प्रति .... शम्भूलाल .... उनवानी .... प्र०सं० 71/04 78
दिनांक 24-5-2016 1-6-16
उपखण्ड अधिकारी .... गंगापुर सिटी
1/6/16

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,

- हिंगोटया

शम्भूलाल आदि बनाम कैलाशचन्द्र आदि

प्रकरण संख्या - 71/04 अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 R.T. Act

उपर्युक्त प्रकरण मे प्रार्थी / वादी श्री शम्भूलाल आदि .... है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है और अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके है। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है कि [illegible] खसरा नं. 202 रकबा 1.12 हे०, 203 रकबा 0.02 हे०, 204 रकबा 1.07 हे०, 205 रकबा 0.21 हे० ग्राम - .... [illegible] तहसील गंगापुरसिटी में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उत्तर से दक्षिण [illegible] राजीनामें अनुसार दोनों पक्षों के [illegible] [illegible] यह है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें। [illegible] दोनों पक्ष तहसील से [illegible] [illegible] राजीनामा के साथ संलग्न है।

1. .... शम्भूलाल शर्मा .... प्रतिवादी पक्ष 1 .... कैलाशचन्द्र शर्मा
2. .... 2. ....
3. .... 3. ....
4. नि० गुलाबबाई .... 4. ....

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

शिनाख्तकर्ता के हस्ताक्षर .... पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....
नाम .... सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोटिया (प्रतिवादी पक्ष) नाम विजय कुमार सारेन्ना
मुख्यमनिआई
प्रार्थी / वादी श्री शम्भूलाल मय गुलाब बाई .... एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी कैलाशचन्द्र शर्मा

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया, अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर